जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 29.11.2024

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना नूरपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को ज्वैलरी व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27/28.11.2024 की रात्रि में आशीष पुत्र पवन व सविता पत्नी पवन निवासीगण ग्राम धौलागढ़ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर शादी कार्यक्रम में मुरादाबाद गये हुए थे। दिनांक 28.11.2024 को प्रातः करीब 03 से 04 बजे के मध्य सविता व आशीष जब घर लौटे तो आशीष के पिता पवन कुमार यादव पुत्र स्व0 रोहताश यादव घर के बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिनके सिर में बांए तरफ चोट के निशान थे। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण ANTEMORTEM INJURIES होना पाया गया।

दिनांक 28.11.2024 को वादी आशीष पुत्र पवन उपरोक्त के द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी के पिता पवन उपरोक्त की हत्या उसकी बुआ के लडके कुलदीप पुत्र दयाराम निवासी ग्राम रौनिया थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर की गयी। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 463/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज प्रातः मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण उनके घर से मृतक का मोबाइल फोन, कुछ ज्वैलरी व नगदी भी ले गये है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त शरद यादव उर्फ सुमित पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम अहीरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 29.11.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.कुलदीप पुत्र दयाराम निवासी ग्राम रौनिया थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2.शरद यादव उर्फ सुमित पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम अहीरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर मृतक की हत्या कर घर से लूटी गयी ज्वैलरी, नगदी व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किये गये तथा

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लौहे की मोटी पत्ती भी बरामद की गयी। अभियोग में धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.कुलदीप पुत्र दयाराम निवासी ग्राम रौनिया थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.शरद यादव उर्फ सुमित पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम अहीरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त कुलदीप कुमार व शरद यादव ने पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनो मुमेरे फुफेरे भाई है दिनांक 27.11.2024 की सांय को हम दोनो अपने रिश्तेदार पवन कुमार यादव पुत्र रोहताश के घर ग्राम धौलागढ गये थे। हमे जानकारी थी कि आज पवन के घर पर उसकी पत्नी व बेटा नही है तथा यह भी जानकारी थी कि पवन कुमार पैसे वाला आदमी है और जल्दी मे ही लडके आशीष की शादी है, इसके घर मे नगदी व जेवर रखे होगे। हम दोनो ने योजनाबद्ध तरीके से पवन के घर गये और फिर मृतक पवन के साथ शराब पी तथा जब उसे नशा हो गया तो हम दोनो ने पवन कुमार उपरोक्त की लोहे की मोटी पत्ती से हत्या की और उसके पश्चात उसके घर में लूटपाट कर मृतक का मोबाईल फोन और घर में रखी ज्वैलरी व नगदी लेकर भाग गये। हमने मृतक का मोबाइल फोन व लोहे की पत्ती को धौलागढ के समीप रजवाहे में छिपा दिया और मृतक के घर से लूटी गयी ज्वैलरी व नगदी अपने दोस्त निमित पुत्र गोपीचन्द नि0 मौ0 शान्ति कुंज कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को दे दिये थे जो उसके घर पर रख दिये थे।

अभियुक्तगण की निशानदेही पर ग्राम धौलागढ के समीप रजवाहे से मृतक पवन कुमार का मोबाईल व घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) लोहे की मोटी पत्ती बरामद की गयी । अभियुक्तगण से घटना में लूटी गयी ज्वैलरी व नगदी अभियुक्तगण के दोस्त निमित पुत्र गोपीचन्द नि0 मौ0 शान्ति कुंज कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के घर से बरामद किये गये।

बरामदगी का विवरण–

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की पत्ती

2.मृतक पवन कुमार का एक अदद मोबाईल रीयलमी

3.दो अंगूठी पीली धातु

4.एक सोने की चैन

5.दो कानों के लटकन पीली धातु

6.दो टोप्स पीली धातु

7.एक सिक्का सफेद धातु

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शरद यादव उपरोक्त–

1. मु0अ0सं0 463/2024 धारा 103(1)/309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0 413/2024 धारा 115(2)/126(2)/ 131/ 324(4)/ 351(3)/ 352 बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3. मु0अ0सं0 315/2024 धारा 323/384/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. निरीक्षक अपराध श्री नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. वरि0उ0नि0 श्री उमेशचन्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. आरक्षी गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
6. आरक्षी बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
7. आरक्षी विजयपाल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
8. स्वॉट व सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चादंपुर **दिनांक 29.11.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 657/2024 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी बैट्री सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.11.2024 को वादी मौ0 गालिब पुत्र मौ0 गुलशन नि0 मौ0 पतियापाड़ा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर वादी की वैगनार कार की बैट्री चोरी कर ले गया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 657/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्माक कार्यवाही के दौरान अभियोग में फैजान पुत्र शमीम नि0 मौ0 भटीयारी सराय जामा मस्जिद थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधिक अभियुक्त फैजान पुत्र शमीम नि0 मौ0 भटीयारी सराय जामा मस्जिद थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगीः-

चोरी की गयी बैट्री।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैजान पुत्र शमीम नि0 मौ0 भटीयारी सराय जामा मस्जिद थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास फैजान उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 06/2013 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0 56/13 धारा 379/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3..मु0अ0स0 63/13 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0 134/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5.मु0अ0स0 431/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0स0 947/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0स0 धारा 161/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना बछरायू जनपद अमरोहा

8.मु0अ0स0 256/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

9.मु0अ0स0 867/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0सं0 412/2024 धारा 305 (सी)/317 (2) बीएनएस, थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा

11. मु0अ0सं0 657/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना चादंपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 अजीत सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर दिनॉक 29.11.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 323/24 धारा 69/352/351(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.11.2024 को वादिया ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र ऋषि कुमार ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ बालात्कार किया व शादी करने के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी दी तथा आकाश कुमार पुत्र ऋषि कुमार निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने भी वादिया को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 323/24 धारा 69/352/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 29.11.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 323/24 धारा 69/352/351(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र ऋषि कुमार ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– देवेन्द्र कुमार पुत्र ऋषि कुमार ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2–आरक्षी 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।